डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 16 ● भोपाल ● 16-31 जनवरी, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

### प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित

## आन्दोलन के रूप में विकसित हो रही सहकारिता-श्री सारंग

### उज्जैन में आयोजित हुआ नवाचार सहकारी सम्मेलन

उज्जैन। प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में नये आयाम जोड़े और स्थापित किये जा रहे हैं। युवाओं को खासतौर पर सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। सहकारिता को प्रदेश में एक आन्दोलन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सहकारिता के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान करने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी प्रभावी रूप से कार्य किये जाने की योजना बनाई गई है। यह बात प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग ने उज्जैन में कही। वे यहां जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक परिसर में आयोजित नवविचार सहकारी सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय, विधायकगण सर्वश्री अनिल फिरोजिया, सतीश मालवीय, बहादुरसिंह चौहान, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष किशनसिंह भटोल, मुरैना के विधायक सत्येन्द्रसिंह सिकरवार, जिला सहकारी बैंक संचालक राजपालसिंह चौहान, श्याम बंसल तथा जिलेभर से आये सहकारी समितियों के सदस्यगण उपस्थित थे।

सहकारिता राज्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि अब सहकारिता को नये स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से उन आयामों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे देश का निर्माण होता है। नवाचारों को हाथ में लिया गया है। इसके माध्यम से किसानों के हित में बड़े काम किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बिल्डिंग मटेरियल भी उचित मूल्य पर विक्रय किया जायेगा। सहकारी आवास संघ द्वारा व्यापक कार्य किये जायेंगे। प्रदेश में एक हजार करोड़ रूपये के सिविल वर्क आवास संघ को दिलवाने की व्यवस्था की गई है। सहकारिता के माध्यम से बहुउद्देशीय दुकानों द्वारा लगभग 250 वस्तुएं उचित मूल्य पर विक्रय की जायेंगी। हरेक गांव में मिनी मॉल स्थापित किये जाने की योजना है। सहकारी संघ के माध्यम से प्रथम चरण में दो लाख युवाओं को कौशल उन्नयन प्रदान किया जायेगा। पर्यटन के क्षेत्र में बनाई गई योजना के तहत सहकारिता संघ द्वारा पूरे देश में होटलों के साथ एमओयू किया जा रहा है। सहकारिता संघ के माध्यम से इन होटलों पर बुकिंग कराने पर 10 से 20 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी। महानगरों की पार्किंग के ठेके भी लिये जायेंगे। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाने की योजना है।

सहकारिता राज्यमंत्री ने सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष तथा विधायकों की मांग पर जिले में एक-एक हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोडाउन निर्माण की घोषणा भी की। ये गोडाउन जिले की सेवा सहकारी संस्थाओं जैसे- झारड़ा, इन्दौख, आमला, लखेसरा, माकड़ोन, कनासिया, बेरछा, करोहन, झितरखेड़ी, मालीखेड़ी, बेड़ावन, दुधरसी, सालाखेड़ी में बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में 2300 पदों पर भर्तियां किये जाने के लिये आगामी सोमवार को विज्ञापन जारी किया जा रहा है। पूर्णतरू पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आईबीपीएल के माध्यम से ये भर्तियां की जायेंगी। उन्होंने सहकारी बैंकों में उज्जैन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल की अध्यक्षता में कैडर निर्माण के लिये समिति गठित करने की घोषणा भी की।

सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में शासन के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने के लिये बहुआयामी कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में सहकारी संस्थाओं के लिये गोडाउन निर्माण की आवश्यकता प्रतिपादित की। कार्यक्रम को विधायकगण सर्वश्री अनिल फिरोजिया, बहादुरसिंह चौहान, सतीश मालवीय, राजपालसिंह सिसौदिया, श्याम बंसल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल ने भी सम्बोधित किया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक ने बैंक के सम्बन्ध में जानकारी दी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल के कैलेण्डर 2017 का विमोचन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। चित्र उसी अवसर का।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी और आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत किडनी रोग के प्रति जागरूकता का भोपाल में प्रस्तुतिकरण देखते हुए।

# सहकारिता विभाग की बैठक में डॉ. जायसवाल पुरूस्कृत

**उज्जैन।** श्री कवीन्द्र कियावत, सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा उज्जैन एवं देवास के सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों, मार्केटिंग, जिला भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक उज्जैन में आयोजित की गई।

जिला सहकारी संघ के प्रबंधक जगदीशप्रसाद बैरागी ने बताया की म.प्र. के सहकारिता आयुक्त श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा उज्जैन तथा देवास जिले अधिकारियों की बैठक ली गई जिसमें जिले के किसानों को 100 प्रतिशत सहकारी समितियों के सदस्य बनाने, सहकारिता के माध्यम से दिये जा रहे शून्य प्रतिशत कृषि ऋण एवं मुख्यमंत्री कृषि योजना जिसमें खाद तथा बीज पर 10 प्रतिशत या 10000/– रूपये अधिकतम के अनुदान का लाभ समस्त कृषक सदस्यों को दिया जाना सुनिश्चित करें साथ ही जिन किसानों के के.सी.सी. नहीं बने हो उसे तुरन्त बनाया जाए। आने वाले रबी सीजन में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से शासकीय एजेन्सी के रूप में गेंहूं उपार्जन की तैयारी करने तथा समस्त सहकारी संस्थाओं के ऋण की एन्ट्री उपार्जन के पोर्टल पर 21 जनवरी से 21 फरवरी तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। श्री कियावत ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के लिये एकमुश्त योजना का लाभ फरवरी 2017 तक लेने वाले किसानों के उक्त बैंक में अपनी भूमि रहन रखकर ऋण प्राप्त किया किन्तु बिना लोन पटाए जिन्होंने जमीन बेच दी उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाए।

साथ ही जिन सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन ड्यू हो गये हैं उन्हें 15 फरवरी तक कराने के प्रयास करें एवं जो सहकारी संस्थाएं अकार्यशील हैं तथा सहकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार समय पर निर्वाचन एवं आडिट नहीं करवा रहीं है उन्हें तुरन्त परिसमापन में डाला जाए जो संस्थाएं पूर्व से ही परिसमापन में है उनके पंजीयन तुरन्त निरस्त किये जावे। जिन संस्थाओं द्वारा ईपोर्टल पर अपनी संस्था की जानकारी अपडेट नहीं की हो वह तुरन्त करवाई जावे।

इस अवसर पर श्री कियावत द्वारा प्रदेश के सहकारिता विभाग में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर उपायुक्त डॉ. मनोज जायसवाल, सहकारिता उज्जैन को पुरस्कृत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। उपस्थितों द्वारा डॉ. जायसवाल को बधाई दी गई। इस अवसर पर सर्वश्री जे.पी.गुप्ता, अपर आयुक्त, सहकारिता भोपाल, श्री वी.पी. मारण, संयुक्त आयुक्त उज्जैन, डॉ. मनोज जायसवाल, उपायुक्त, उज्जैन, श्री मुकेश जैन, उपायुक्त, देवास,(आईसीडीपी) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक डी.आर. सरेठिया उज्जैन, श्री आलोक जैन, वर्षा श्रीवास, सहायक आयुक्त, दुग्ध संघ के महाप्रबंधक श्री माहेश्वरी, मार्कफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश हेडाउ, एलडीबी के वी.के. जैन, एवं आर. पी. व्यास, देवास सहित दोनों जिले के सहकारिता विभाग एवं जिला बैंकों के अधिकारी एवं

# सहकारी संस्थाओं में परिसमापन व निर्वाचन के लिये प्रशिक्षण आवश्यक

**सागर।** ''सहकारी संस्थाओं में परिसमापन की प्रक्रिया सरलता पूर्वक व प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो सके इसके लिये विभागीय अधिकारियों को पूर्ण रूप से दक्ष होना आावश्यक है और ऐसी दक्षता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकते है'' ये विचार श्री पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त, सागर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर में सहकारी संस्थाओं के परिसमापन व निर्वाचन प्रक्रिया पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यक्त किये। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं सहकारिता विभाग म.प्र.शासन के तत्वाधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री पी.आर. कावड़कर उप आयुक्त, सहकारिता सागर ने विश्वास व्यक्त किया कि विभागीय अधिकारी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेकर अर्जित प्रशिक्षण का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री डी.के. राय ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहकारी गतिविधियों की सफलता के लिये जरूरी बताया। श्री राय ने कैशलेस लेनदेन पर भी ज्ञानवर्धक चर्चायें की। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक एवं व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे ने परिसमापन पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर जबलपुर के व्याख्याता श्री एस.के. चतुर्वेदी ने परिसमापन की वैधानिक स्थितियों पर प्रकाश डाला।

द्वितीय चरण में सहकारिता विभाग से श्रीमति रविकांता दुबे संयुक्त आयुक्त सहकारिता निर्वाचन भोपाल एवं श्री राजकुमार मेडतवाल कक्ष प्रभारी सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल ने सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन प्रक्रिया में सार्थक प्रशिक्षण प्रदान किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने दिया व संचालन व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे एवं आभार प्रदर्शन श्री एस.के. चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम में टीकमगढ़ के उपायुक्त, सहकारिता श्री एस. पी. कौशिक एवं दमोह के सहायक आयुक्त श्री संजय आर्या एवं पन्ना से सहायक आयुक्त सुश्री दीप्ति वनवासी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

## राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा राष्ट्रीय खादी उत्सव–2017 का शुभारंभ

भोपाल। सहकारिता, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि खादी और ग्रामोद्योग से उत्पादित वस्तुएँ शासकीय उचित मूल्य दुकानों से बिकें, इस सबंध में सरकार विचार करेगी। श्री सारंग राष्ट्रीय खादी उत्सव–2017 का शुभारंभ कर रहे थे। सांसद श्री आलोक संजर और विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह भी उपस्थित थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खादी भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में खादी वस्त्र को अपनाकर स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था और विदेशी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम खादी को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनायें, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता से जुड़ी 23 हजार सरकारी समितियों के जरिये खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों की बिक्री का एक सशक्त मंच बनाया जायेगा।

# मिल्क रूट की तरह फ्रूट रूट बनाये जायेंगे

## मुख्यमंत्री श्री चौहान नरसिंहपुर के ब्रम्हकुंड में नर्मदा सेवा यात्रा में

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मिल्क रूट की तरह फ्रूट रूट भी तैयार किये जायेंगे। उन्होंने यह बात नरसिंहपुर जिले की गोटेगाँव जनपद पंचायत के ग्राम ब्रम्हकुंड में कही। मुख्यमंत्री **नमामि देवि नर्मदे**-सेवा यात्रा में सपत्नीक शामिल होकर नर्मदा तट के ब्रम्हकुंड पहुँचे थे। श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा एक आर्थिक यात्रा भी है। इस यात्रा से जागरूक होकर नर्मदा तट के दोनों ओर लगने वाले फलदार वृक्षों से प्राप्त फल के लिए राज्य सरकार फ्रूट रूट तैयार करके देगी। इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फलदार पौधे लगाने के लिए गड्डा खोदने के लिए मजदूरी के साथ 40 प्रतिशत अनुदान राशि दी जायेगी। साथ ही प्रति हेक्टेयर 20 हजार रूपये की राशि 3 साल तक किसानों को दी जायेगी। फलोद्यान लगाने वाले किसानों को ट्रेनिंग देने, मिट्टी परीक्षण करवाने और पौधे उपलब्ध करवाने तक की सभी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि नर्मदा में गंदा पानी मिलने से रोकने के लिए अमरकंटक से ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की शुरूआत की जायेगी। इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी अच्छी कम्पनियों को देकर इसकी केन्द्रीकृत व्यवस्था की जायेगी। ट्रीटमेंट प्लांट से निकले साफ पानी को पाइप के माध्यम से खेतों तक पहुँचाकर सिंचाई के उपयोग में लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा किनारे पूजन सामग्री विसर्जित करने के लिए अलग से कुंड बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा तट से लगे गाँव में अगले वित्तीय वर्ष से कोई शराब की दुकान नीलाम नहीं होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई जंग में साथ देने को कहा। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसके लिए सभी को **न खायेंगे-ना खाने देंगे** का संकल्प भी दिलवाया। श्री चौहान ने कहा कि सेवा यात्रा जनांदोलन का रूप ले चुकी है। यह यात्रा पर्यावरण बचाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने इसके लिए सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि नर्मदा जल से हम भरपूर बिजली और पर्यटन को नया आयाम दे रहे हैं। कार्यक्रम को दमोह सांसद श्री प्रहलाद सिंह पटेल और अपेक्स बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष श्री कैलाश सोनी ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर स्वामी उमा चरणदास त्यागी, स्वामी अखिलेश्वरानंद, समर्थ भैयाजी सरकार, साध्वी प्रज्ञा भारती एवं योगमाया, स्वामी पदमदास जी, सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, विधायक गोटेगाँव डॉ. कैलाश जाटव, विधायक नरसिंहपुर श्री जालम सिंह पटेल, विधायक गाडरवारा श्री गोविंद सिंह पटेल भी मौजूद थे।

# जिला सहकारी बैंक में हुआ प्रशिक्षण

होशंगाबाद। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के सभाकक्ष में होशंगाबाद एवं हरदा जिले के अंकेक्षण अधिकारियों व प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों का वसूली एवं अंकेक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान म.प्र. राज्य सहकारी संघ के व्याख्याता निरंजन कुमार कसारा, अरूण जोशी तथा अंकेक्षण अधिकारी विवके रंजन दुबे ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में उपायुक्त सहकारिता श्री जी.एस. डेहरिया एवं श्री आर.बी.एस. ठाकुर, जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री एस.के. उपाध्याय, राधेश्याम चौहान आदि मौजूद थे।

# डॉ. डी.पी. गर्ग इफको द्वारा सम्मानित

इंदौर। इफको के स्वण जयंती समारोह कार्यक्रम के सुअवसर पर डॉ. डी.पी. गर्ग, पूर्व सचिव, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली का सहकारिता में उत्कृष्ठ गतिविधियों के लिये, डॉ. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक इफको द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में इंदौर संभाग के समस्त जिलों के 2000 सहकारी बंधुओं तथा विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

**पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-**
**डी.सी.ए. मात्र 8100/-**
**न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)**

**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित**
**सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध**
**प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल**
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

# एक कॉल पर किसानों को मिलेंगे खेती-किसानी के आधुनिक यंत्र

## कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कम समय, कम लागत और अधिक उत्पादन के लिये जरूरी है यह

भोपाल। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि कम समय, कम लागत और अधिक उत्पादन के लिये यह जरूरी है कि किसान खेती-किसानी के आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें। श्री बिसेन आज राज्य सरकार और महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा एण्ड टैफे के साथ हुए एमओयू कार्यक्रम में बोल रहे थे। एमओयू के जरिये किसानों को एक कॉल पर खेती-किसानी के आधुनिक यंत्र किराये पर उपयोग के लिये मिल सकेंगे।

कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि आज हर क्षेत्र में आई.टी. का उपयोग बढ़ा है। इसका उद्देश्य कम समय में अधिकतम सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को अपनाया है। श्री बिसेन ने कहा कि कृषि क्षेत्र, जो हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था और प्रगति के लिये जरूरी है, में भी अब नई तकनीक के इस्तेमाल का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पारम्परिक तरीके से खेती करते हुए किसानों ने प्रदेश को पूरे देश में गौरवान्वित किया है। चार बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। हम कुल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र से तालमेल कर ऐसे यंत्रों को किसानों को उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है, जिससे वे कम समय में कम लागत पर अधिकतम उत्पादन ले सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य पूरे देश को दिया है। मध्यप्रदेश ने सबसे पहले इस दिशा में रोड-मेप बनाकर अमल की शुरूआत की है। इस दृष्टि से महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा तथा टैफे कम्पनी के साथ हुआ एमओयू एक बेहतर पहल है।

मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि इसके जरिये हम किसानों को एक कॉल पर उन्हें ट्रेक्टर के साथ ही वह सभी उपकरण उपलब्ध करवा सकेंगे, जो उनके खेती-किसानी के लिये जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में यह एक धारणा बन गयी थी कि खेती का लाभ का धंधा नहीं है और युवा इससे दूर हो रहे हैं। पिछले दस साल में किये गये प्रयासों से यह धारणा गलत साबित हो गयी है और अब खेती लाभ की ओर बढ़ रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में वर्ष 2003 के मुकाबले हम ढाई गुना से अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की उपस्थिति में हुए एमओयू के जरिये अब महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा और टैफे कम्पनी प्रदेश में किसानों को ट्रेक्टर के साथ अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध करवायेंगे। इसके लिये 3 माह के लिये पॉयलेट प्रोजेक्ट उज्जैन और भोपाल संभाग में लागू किया जायेगा। इसकी सफलता और उपयोगिता को देखते हुए एक अप्रैल-2017 से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। इसके लिये ई-किसान सारथी एप भी बनाया गया है, जिसे डाउनलोड करने पर किसान अपने फोन द्वारा टोल-फ्री नम्बर पर अपनी जरूरत के मुताबिक सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी एवं महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा की ओर से जनरल मैनेजर आई.टी. श्री प्रकाश सेनानी और टैफे कम्पनी की ओर से सीनियर वाइस प्रेसीडेंट श्री एन. सुब्रमण्यम ने हस्ताक्षर किये।

## उद्यानिकी योजनाओं में किसानों को पौने दो लाख रूपये तक का अनुदान

भोपाल। खेती को लाभ का धंधा बनाने तथा किसानों की आमदनी दुगना करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनायें चलाई जा रही है । इन योजनाओं में किसानों को एक लाख 75 हजार तक अनुदान सीधा बैंक खाते में देने का प्रावधान है । किसानों को mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन करने के उपरांत योजना का लाभ दिया जाता है।

उद्यान अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 50 मीट्रिक टन का प्याज भण्डारण गृह बनाने पर अधिकतम एक लाख 75 हजार जबकि 25 टन का प्याज गोदाम बनाने पर 87 हजार 500 रूपये अनुदान है। ड्रिप योजना में चौथाई हैक्टेयर से चार हैक्टेयर तक के किसानों को ईकाई लागत का 40 प्रतिषत अधिकतम 36 हजार अनुदान है। सब्जी क्षेत्र विस्तार में बीज वाली फसलों पर 10 हजार तथा कंद वाली फसलों पर 30 हजार अनुदान है। मसाला विकास में 50 हजार रूपये तक अनुदान है। पुष्प क्षेत्र विस्तार में लघु सीमांत कृषकों को 16हजार व अन्य कृषकों को 10 हजार का अनुदान है।

## अनुसंधान के लिये 25 परियोजना स्वीकृत

भोपाल। मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 परियोजना स्वीकृत की गयी है। इनमें से 17 परियोजना पूरी हो चुकी हैं और 8में कार्य चल रहा है। स्वीकृत परियोजनाओं में कृषि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित 2, सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी से 5, पशु जैव प्रौद्योगिकी से 7, पादप जैव प्रौद्योगिकी से 3 और एक जैव सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। परिषद द्वारा इन परियोजनाओं के लिये 2 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

## किसानों की समृद्धि से ही प्रदेश का होगा विकास

**भोपाल।** वाणिज्य-उद्योग और खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि किसान के समृद्ध होने से ही सही मायनों में प्रदेश का विकास भी होगा। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ संचालित की हैं। श्री शुक्ल रीवा जिले की सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चोरहटा में राष्ट्रीय कृषि बीमा दावा राशि के प्रमाण-पत्रों का वितरण कर रहे थे। मंत्री श्री शुक्ल ने दुआरी, अगडाल और चोरहटा सहित आसपास के क्षेत्रों के 186 किसानों को 19 लाख 74 हजार रूपये की फसल बीमा राशि के प्रमाण-पत्र वितरित किये।

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सभी किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य करवायें, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति हो सके। उद्योग मंत्री ने कहा कि चोरहटा प्रगतिशील क्षेत्र रहा है और अब यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सृजन को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

### ग्राम पंचायत सचिव की अनुपस्थिति में ग्राम रोजगार सहायक कार्य देखेंगे

भोपाल। ग्राम पंचायत सचिव की अनुपस्थिति में ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौंपा जाये। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को जारी किये हैं।

# वसूली प्रबंध व अंकेक्षण पर जबलपुर और सिहोरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

जबलपुर। वसूली प्रबंध व अंकेक्षण को लेकर माननीय आयुक्त सहकारिता विभाग म.प्र. शासन के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में पिछले दिनों म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल व सहकारिता विभाग के तत्वावधान में जिले के पेक्स प्रबंधकों व विभागीय अधिकारियों के लिये वसूली प्रबंध व अंकेक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर में आयोजित वसूली प्रबंध पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सभा भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक के महाप्रबंधक श्री पी.के. परिहार ने कहा कि वसूली प्रबंध के प्रशिक्षण से पैक्स प्रबंधकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और वसूली के कार्य में गति आयेगी।

इसी अवसर पर सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त श्री जी.पी. प्रजापति एवं सहायक आयुक्त श्रीमती आरती पटेल ने भी अपने उद्‌बोधन में विश्वास व्यक्त किया। विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण में अंकेक्षण से संबंधित विधिवत जानकारी मिलेगी।

सिहोरा में मृगनयनी भवन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का उद्‌घाटन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक श्री सुरेन्द्र दुबे ने किया। इस कार्यक्रम में पेक्स प्रबंधकों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

जबलपुर और सिहोरा में दोनों ही प्रशिक्षण शिविरों का संचालन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक व व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

## एकल बैंक खाते में आधार नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं

भोपाल । भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2016-17 में जिन विद्यार्थियों ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन एनएसपी 2.0 पर आवेदित किए है, को सूचित किया जाता है कि वे अपने एकल बैठक खाते को अनिवार्य रूप से आधार नम्बर से जुड़वा लें ताकि पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त हो सकें। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक सहित समस्त प्राचार्य रजिस्ट्रार शा. अशा. महा-विद्यालय, संस्था, नोडल प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

# सीधी में वसूली प्रबंधन व अंकेक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न

सीधी। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. की परिकल्पना है कि वसूली, परिसमापन और अंकेक्षण की गति में सकारात्मक विकास के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के सार्थक आयोजन किये जाये। प्रदेश स्तर पर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुकूल प्रभाव दिख रहा है ये विचार श्री जी.पी. सोनकुसरे उप आयुक्त, सहकारिता ने मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी के सभाकक्ष में वसूली और अंकेक्षण पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए व्यक्त किये।

सहकारिता विभाग म.प्र. शासन एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री आर.के. रैकवार ने अपने उद्‌बोधन में विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से समिति प्रबंधकों और विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

प्रथम चरण में पैक्स प्रबंधकों को वसूली प्रबंधन व विभागीय अधिकारियों को अंकेक्षण से संबंधित प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक व व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में जिला सहकारी संघ द्वारा सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया गया।

# वसूली प्रबंधन/ऑडिट पर कार्यशाला सम्पन्न

**गुना।** प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों के अंतर्गत संस्थाओ/बैंकों की वसूली में तेजी लाने के लिये सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा वसूली प्रशिक्षण के दो पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं। जिन पर पूरे प्रदेश मे जिलेवार एवं विकासखंडवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

दिनांक 07.01.2017 को गुना जिले की तहसील गुना/चांचौडा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा वसूली प्रबंधन एवं ऑडिट पर विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय ऋण वसूली का महत्व एवं ऑडिट, कालातीत/एनपीए ऋण का संस्था की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव, वसूली की वैद्यानिक कार्यवाही, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 64,68,84,85 के प्रावधान, सहकारी संस्थाओं द्वारा डिक्री प्राप्त करने की प्रारंभिक तैयारी, डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही व वसूली अधिकारी की शक्तियों पर चर्चायें की गई।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल से श्री के.एल. राठौर जी/श्री वीरेन्द्र मिश्रा ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुए विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनों की अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी।

# सहकारी वसूली प्रबंधन पर प्रशिक्षण सम्पन्न

**मुरैना।** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना के संयुक्त तत्वाधान में सहकारी बैंक श्योपुर के सभागृह में सहकारी वसूली प्रबंधन पर एक दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण दिनांक 06.01.2017 को आयोजित किया गया जिसमें मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के श्री पी.डी. गावशिन्दे, प्राचार्य, श्री दिलीप मरमट, व्याख्याता द्वारा विषय पर विस्तृत चर्चा एवं जानकारी देते हुये वसूली प्रबंध पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बैंक के नोडल अधिकारी श्री मातादीन शर्मा द्वारा उपस्थित कर्मचारियों को वसूली के महत्व के उपर समझाईस दी गयी। प्रशिक्षण में श्योपुर जिले की 47 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों अधिकारियों, प्रबंधकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सहकारी आडिट के पर श्री पी.डी. गावशिन्दे ने प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण का संचालन ऋषि शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के विकास अधिकारी श्री निरपृत सिंह भदौरिया ने उपस्थित रहकर परियेजना की जानकारी प्रदान की प्रशिक्षण सम्पन्न उपरान्त सभी उपस्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को धन्यवाद प्रकट करते हुये आभार व्यक्त श्री दिलीप मरमट द्वारा व्यक्त किया गया।

# प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत 181 पर कर सकेंगे

## मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मनावर में 31 हजार आवासहीन को सौंपे आवास आवंटन स्वीकृति-पत्र

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत 181 के माध्यम से सी.एम. हेल्पलाइन पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चयनित हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पां की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले के मनावर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयोजित 4 जिलों के 31 हजार आवासहीन को आवास आवंटन स्वीकृति-पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब किसी को भी आवासहीन नहीं रहने दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में कानून बनाकर सभी आवासहीन को आवास के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का अधिकार दिया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर आवासहीनों को जमीन का अधिकार देने के लिए निजी भूमि भी क्रय की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। योजना का पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जायेगा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। देश में अगले तीन वर्ष में एक करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश में तीन वर्ष में 11 लाख 78हजार आवास बनाए जायेंगे। कुल लक्ष्य में से नियमानुसार आवास अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। हितग्राहियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के आधार पर हो रहा है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि पूर्व के वर्षों में केन्द्र शासन से आवास निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता राशि नहीं मिल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गई इस योजना के माध्यम से अब पर्याप्त सहायता राशि मिल रही है।

पूरे प्रदेश में आज एक ही दिन में योजना के तहत लगभग सवा तीन लाख आवासहीन को आवास आवंटन-पत्रों का वितरण प्रदेश में सभी जिलों में किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीनों को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस राशि से 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण तथा 18हजार रूपये की मदद मजदूरी के लिए दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय श्री सुन्दरलाल पटवा तथा स्व. श्री दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। कार्यक्रम में दो मिनिट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती-मोहन पटेल, विधायक श्रीमती रंजना बघेल, श्रीमती नीना-विक्रम वर्मा, श्री भंवरसिंह शेखावत, श्री वेलसिंह भूरिया, श्री शांतिलाल बिलवाल, श्री कलसिंह भाबर, श्री माधवसिंह डावर, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. राज बर्फा और श्री दौलतसिंह भावसा, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ममता जोशी और श्री राजकुमार जैन के अलावा अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया मौजूद थे।

# राज्य सरकार की बैंक प्रायोजित योजनाओं की ऑनलाइन मानीटरिंग

भोपाल। प्रदेश में राज्य सरकार की बैंकों के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की मॉनीटरिंग की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। इसके लिये वित्त विभाग के संस्थागत वित्त ने SAMAST (Software Application for Monitoring Achievement of Schemes Target) सॉफ्टवेयर तैयार किया है।

सॉफ्टवेयर के जरिये संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, युवा उद्यमी, आवास, ग्रामीण एवं शहरी आजीविका पर केन्द्रित योजना, कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, विद्या सागर गोवर्धन, पशुपालन विभाग की हितग्राही योजना और बुनकर मुद्रा योजना जैसी 38योजना का जिलावार लक्ष्य राज्य-स्तरीय कार्यालय द्वारा दर्ज किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस लक्ष्य को कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिले में कार्यरत बैंक शाखाओं के मध्य आवंटित किये जाने की व्यवस्था है। बैंकों द्वारा लक्ष्यों के लिये ऋण मंजूरी की मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन मॉनीटरिंग से समय पर लक्ष्य की पूर्ति करवाये जाने में सुविधा हुई है।

# स्कूली बच्चों के लिये चलाया जायेगा आसपास की खोज कार्यक्रम प्रदेश में 2966 शाला का चयन

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपने क्षेत्र की संस्कृति, परम्परा और रीति-रिवाज से अवगत करवाने के लिये **आसपास की खोज** कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस संबंध में जिलों के डाइट प्राचार्य और परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र को निर्देश जारी किये गये हैं। कार्यक्रम के लिये 51 जिले के 2966 शाला का चयन किया गया है।

**आसपास की खोज** कार्यक्रम में बच्चों से प्रोजेक्ट तैयार करवाये जायेंगे। प्रोजेक्ट में देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर महापुरुषों की जीवन-गाथा, क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का महत्व, पॉलिथिन-मुक्त गाँव या शहर बनाने के लिये क्या प्रयास किये जा सकते हैं, को शामिल किया जायेगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में मनाये जाने वाले तीज-त्यौहार और उनकी मान्यताएँ, क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें, आपदा के समय किये जाने वाले कार्य और क्षेत्र की लोक-संस्कृति, गाथाओं और कहावतों को भी प्रमुख रूप से शामिल किया जायेगा।

कार्यक्रम में शाला के प्रोजेक्ट कार्यों पर पुस्तिका का निर्माण भी करवाया जायेगा। संबंधित जिलों के शिक्षाधिकारियों से कहा गया है कि वे शाला-स्तर पर कक्षावार 6, 7 और 8 को विभाजित कर बच्चों के समूह बनाकर गतिविधियाँ करवायें।

# सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की जानकारी वेबसाइट पर

भोपाल। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम गतिविधियों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के नाम से नया विभाग बनाया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अब इसी विभाग का जिला स्तर पर अधीनस्थ कार्यालय होगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम विभाग से संबंधित जानकारी एवं सूचनाएं वेबसाइट www.mpmsme.gov.in पर देखी जा सकती है।

# पशुधन बीमा योजना पर सेवा कर समाप्त

### पशुपालन मंत्री श्री आर्य ने केन्द्रीय कृषि मंत्री का माना आभार

भोपाल। पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने पशुधन बीमा योजना पर लगने वाले 15 प्रतिशत सेवा कर को समाप्त करने पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का आभार व्यक्त किया है।

पशुपालन मंत्री श्री आर्य ने गत वर्ष जुलाई में केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार से एन.एल.एम. योजना में रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इंश्योरेंस (पशुधन बीमा) योजना में बीमा प्रीमियम की दरें कम करने तथा योजना पर लगने वाले 15 प्रतिशत सेवा कर समाप्त करने का अनुरोध किया था। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सेवा कर समाप्त करने का अनुरोध स्वीकार कर 26 दिसम्बर को आदेश जारी कर दिया गया है। श्री आर्य ने केन्द्रीय कृषि मंत्री को पशुधन बीमा की प्रीमियम राशि को भी कम किये जाने का अनुरोध किया है।

## खादी को बढ़ावा देने के लिये जारी किया गया आदेश

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिये आदेश जारी किया है। आदेश के जरिये सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की गयी है कि वे अपनी स्वेच्छा से सप्ताह में एक दिन खादी वस्त्र की पोषाक पहने। ऐसा करने से खादी कपड़ा बुनकरों को मदद मिलेगी।

### नागरिक सेवा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिये 23 विभाग की 164 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी के दायरे में

# नागरिक क्षेत्र में 413 लोक सेवा केन्द्र संचालित

भोपाल। मध्यप्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में नागरिक अधिकारों को मजबूत किया गया है। अधिनियम के दायरे में 23 विभाग की 164 सेवाओं को लाया गया है। इनमें से 110 सेवाएँ नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिये सभी विकास खण्ड, तहसील एवं नागरिक क्षेत्र में 413 लोक सेवा केन्द्र पी.पी. मॉडल पर संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क को भी लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत सेवा देने के लिये अधिकृत किया है। नागरिकों को अब ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रदान किये जा रहे हैं। समस्त डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट एक कॉमन रिपॉजिटरी वेबसाइट mpedistrict पर उपलब्ध है।

सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्व-घोषणा-पत्र के आधार पर स्थानीय निवासी और आय प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। राज्य सरकार का यह कदम लोक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। प्रदेश में स्कूलों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये अभियान चलाया गया। अब तक एक करोड़ 10 लाख जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रदान किये जा चुके हैं। लोक सेवा प्रबंधकों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सीएम हेल्पलाइन 181 का जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

**इन्टीग्रेशन प्रक्रिया**

नागरिकों को राज्य शासन से संबंधित अधिक से अधिक सेवाएँ समय-सीमा में सरलता से और आसानी मिल सके, इसके लिये इन्टीग्रेशन प्रक्रिया अपनाई गई है। नवीन नीति अनुसार लोक सेवा केन्द्रों के जरिये दी जाने वाली सभी सेवाएँ एम.पी. ऑनलाइन, कियोस्क के माध्यम से तथा एम.पी.आनलाइन की चिन्हित सेवाएँ लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। लोक सेवा केन्दों एवं एम.पी.आनलाइन के इंटीग्रेशन प्रक्रिया, नवीन पेमेंट गेटवे तथा सी.एम.हेल्पलाइन के संबंध में लोक सेवा प्रबंधकों और एम.पी.ऑनलाइन टीम को प्रशिक्षण दिया गया है।

सेवाओं की गुणवत्ता को बनाने के लिये जिला प्रबंधक एंव एम.पी. ऑनलाइन को-ऑर्डिनेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह मास्टर ट्रेनर अपने-अपने जिलों में लोक सेवा केन्द्रों एवं एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क आपरेटर्स को जिला स्तर पर आर.सी.बी.सी. सेंटर से इस प्रोजेक्ट में प्रशिक्षण देंगे।

# कृषक की आय दोगुनी करने में मत्स्य विभाग की भी रहेगी अहम् भूमिका

### मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने की प्रदेश-स्तरीय समीक्षा

भोपाल। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य-विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा है कि पाँच वर्ष में कृषक की आय दोगुनी करने में मत्स्य विभाग भी अहम भूमिका निभायेगा। मंत्री श्री आर्य प्रदेश-स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री आर्य ने कहा कि मत्स्य-पालन कृषकों की आय का अ%छा स्रोत है। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अधिकतम तालाबों को चिन्हित कर मत्स्य-पालन के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने अधिकारियों से दिक्कतें भी सुनी और आश्वासन दिया कि इन पर गंभीरता से विचार कर ज्यादा से ज्यादा का निराकरण किया जायेगा। मंत्री श्री आर्य ने अधिकारियों से निष्ठा और ईमानदारी से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।

प्रमुख सचिव श्री विनोद कुमार ने कहा कि मछली की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिये कारगर प्रयास जरूरी है। मछुआरों को विपणन के लिये बाजार विकसित करना होगा। ऐसे प्रयास करने होंगे कि कम लागत में ज्यादा पैदावार हो। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में समस्याओं एवं माँगों का निराकरण किया जायेगा। संचालक श्री ओ.पी. सक्सेना ने विभागीय योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति की जानकारी दी। विभाग की प्राथमिकताओं एवं आगामी कार्य-योजना से अवगत करवाया।

बताया गया कि पिछले वर्ष 1 लाख 15 हजार टन मत्स्य-उत्पादन किया गया, जो गत 5 वर्ष में लगातार 13 प्रतिशत की ग्रोथ से हो रहा है। चालू वर्ष में 105 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन किया गया है। साथ ही 4,332 किसानों को मत्स्य-पालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में 2,158 मछुआ सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 80 हजार से ज्यादा सदस्य है। करीब एक लाख 85 हजार मछुआरों का बीमा किया गया है। बैठक में मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के महाप्रबंधक श्री सतीश सिलावट एवं सभी जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।

# पर्याप्त सुविधा, सुरक्षा एवं संसाधनयुक्त निजी गोदाम ही किराये पर लेगी सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा, सुविधा एवं संसाधनयुक्त निजी गोदाम ही उपार्जित एवं अन्य स्टॉक के भंडारण के लिये किराये पर लिये जायेंगे। मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन केवल उन्हीं गोदामों को किराये से लेगी, जो डब्ल्यू.डी.आर.ए. से पंजीकृत होंगे या जिन्हें प्रदेश स्तर से वेयर हाउस लायसेंस जारी किया गया होगा अथवा अन्य संस्थागत वेयर हाउस जो डब्ल्यू.डी.आर.ए. की तरह ही अर्हताएँ पूर्ण करते हुए सुविधाएँ एवं संसाधन उपलब्ध करवायेंगे।

गोदाम में नियमित गेट अथवा शटर के अलावा अन्दर की ओर जालीदार गेट अथवा शटर होना,कम्प्यूटराज्ड इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज 5000 मीट्रिक टन एवं इससे ज्यादा क्षमता वाला तथा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, स्कंध के भंडारण के लिए डनेज के रूप में का ही उपयोग किया जाना जरूरी होगा। एप्रोच रोड एवं गोदाम परिसर में ब्लेकटॉप रोड (डामरीकृत) अथवा आर.सी.सी. रोड, कम्प्यूटर सिस्टम, इन्टरनेट की सुविधा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर, गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र एवं सी.सी.टी.वी.कैमरे नाइटविजन की सुविधा सहित सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। एम.डब्ल्यू.एल.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई औषधियों के उपयोग के लिये जरूरी उपयुक्त मानक सेंड स्नेक्स, मानव संसाधन एवं पॉवर स्पेयर पम्प आदि की व्यवस्था करवाते हुए कीटोपचार का दायित्व गोदाम संचालक का होगा।

# बेसहारा पशुधन के लिये पंचायतों में भी गौ-शालाओं का निर्माण किया जाये

### उद्योग मंत्री श्री शुक्ल रीवा में गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक

भोपाल। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि बेसहारा पशुधन को संरक्षित रखने पंचायतों में भी गौ-शालाओं का निर्माण किया जाये। उन्होंने कहा कि रीवा शहर के आसपास की ग्राम पंचायतों सहित जिले के अन्य ग्रामों में भी गौ-शालाओं के निर्माण के कार्य प्राथमिकता से करवाये जाये। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणबाग गौ-शाला को भी आत्म-निर्भर बनाया जायेगा। श्री शुक्ल रीवा में जिला गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री शुक्ल ने कहा कि लक्ष्मणबाग गौ-शाला से प्रेरणा लेकर लोग गौ-संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आगे आयेंगे और गौ-वंश से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी निर्माण करेंगे। उद्योग मंत्री ने बताया कि गौ-शाला में गाय के गोबर से लकड़ी एवं गमले तथा गौ-मूत्र से फिनायल बनाने का कार्य प्रथम चरण में शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बसावन मामा के पास स्थित क्षेत्र में गौ-अभयारण्य के निर्माण के लिए आवश्यक कार्य-योजना बनाते हुए जमीन हस्तांरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उद्योग मंत्री ने कहा कि लक्ष्मणबाग गौ-शाला जागरूकता का भी कार्य करेंगी जिससे प्रेरित होकर जिले में गौ-वंश को संरक्षित तथा संवर्धित करने का काम होगा।

बैठक में गौ-शालाओं की बेहतर व्यवस्थाओं तथा गोबर और गौ-मूत्र से बनायी जाने वाली सामग्री का प्रस्तुतीकरण दिया गया। गौ-शाला संचालन समिति के अध्यक्ष श्री राजेश पाण्डेय ने गौ-शाला की अद्यतन प्रगति से अवगत करवाया।

# मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन करें

भोपाल। अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगारो को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 10 लाख से 01 करोड़ तक उद्योग एवं सेवा व्यवसाय में ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पात्रता में आवेदक जिले का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, न्यूनतम 10वी कक्षा उत्तीर्ण हो तथा आवेदक की आयु 18से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की लागत न्यूनतम 10 लाख रूपये से अधिकतम 01 करोड़ रूपये तक होगी। परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख रूपये) ऋण वितरण के पश्चात देय होगी। परियोजना लागत पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक ब्याज अनुदान देय होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित में आवश्यक सहपत्रों सहित किया जाएगा। आवेदन-पत्र निशुल्क रहेगा।

# शत-प्रतिशत किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने अभियान चलाए

## राज्य मंत्री श्री सारंग की अध्यक्षता में नवाचार विंग की बैठक

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र किसान शत-प्रतिशत सहकारी समितियों के सदस्य बने इसके लिये अभियान शुरू करें। श्री सारंग शुक्रवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग के नचाचार विंग की बैठक में नई गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खेती-किसानी के लिए ऋण लेकर समय पर उसका चुकारा करने वाले किसानों की सूची बनाई जाये। ऐसे किसानों को विशेष अवसर पर या अन्य कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए। इससे अन्य किसान भी प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को समितियों का सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाया जाए और एक निश्चित समयावधि में सभी किसानों को सहकारी साख समितियों का सदस्य बनाया जाए। श्री सारंग ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता की संभावना को तलाशा जाना चाहिये। उन्होंने पर्यटन और ई-रिक्शा की भी सहकारी समितियाँ गठित करने को कहा। श्री सारंग ने सहकारी क्षेत्र में बनने वाले गोदाम की अपेक्स संस्था राज्य स्तरीय सहकारी गोदाम संघ भी गठित करने को कहा।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता के जरिये लोगों को संगठित कर रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यापक संभावना मौजूद है। इस दिशा में भी विभाग को सुनियोजित रणनीति बनाने की जरूरत है।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत एवं नवाचार विंग के सदस्य उपस्थित थे।

# श्री सारंग ने नरवर में सामुदायिक

## स्वास्थ्य केन्द्र भवन का लोकार्पण किया

उज्जैन । प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने गुरूवार को जिले के नरवर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का लोकार्पण किया। इस 30 बिस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र की लागत 1.94 करोड़ रूपये है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्री सतीश मालवीय, श्री राजपालसिंह सिसौदिया, श्री श्याम बंसल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सहाकारिता राज्यमंत्री श्री सारंग ने विधायक की मांग पर झितरखेड़ी तथा मालीखेड़ी में एक-एक हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोडाउन निर्माण सहकारी संस्थाओं के लिये निर्मित करवाने की घोषणा की। इसके अलावा समीपस्थ ग्रामों से नरवर तक रोड निर्माण, पुलिया निर्माण के लिये आश्वस्त किया। इसके साथ ही नरवर में आन्तरिक मार्गों के निर्माण के लिये 25 लाख रूपये देने की घोषणा भी की।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में रा%य सरकार चहुंमुखी विकास कर रही है। हर वर्ग के विकास के लिये शासन प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ग के लिये मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में पंचायतें आयोजित की गई हैं। सरकार खेती, किसान के हित में तथा युवाओं के रोजगार के लिये बढ़-चढ़कर काम कर रही है। कार्यक्रम को विधायक श्री मालवीय, श्री श्याम बंसल ने भी सम्बोधित किया। इसके पूर्व मंत्री श्री सारंग का पालखंदा तथा उ%जैन की ओर आते हुए रास्ते में ग्रामीणजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

# निर्वाचन एवं परिसमापन के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

खण्डवा। सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्था के श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा सहकारी संस्थाओं की परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टोरेट सभागृह में जिले के अधिकारियों एवं बैंक के अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई। आपने कहा कि ऐसी सभी सहकारी संस्थाओं की चिन्हित करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए, जिससे परिसमापन की स्थिति बन रही है एवं तदानुसार त्वरित कार्यवाही होना चाहिए। समिति का परिसमापक विभागीय अधिकारी अथवा गैर विभागीय अधिकारी दोनों को बनाया जा सकता है। इसके अनुसार परिसमापक का पारिश्रमिक का निर्धारण यदि कोई हो तो वह रजिस्टार द्वारा निर्धारित किया जायेगा किन्तु गैर विभागीय परिसमापक को सामान्यत: उसके द्वारा वसूल की गई समस्त धन राशि का 5 प्रति श त तक पारिश्रमिक निश्चित किया जा सकता है। परिसमापक को यह देखना आव श्यक है कि जो रकम वसूली की गई है वह समस्त देनदारियां चुकाने के लिये पर्याप्त है। यदि कुल वसूली से देनदारियां अधिक है , तो देनदारियों में से वसूली रकम काटना चाहिये। इसके प श्चात अं श पूंजी तथा रक्षित निधि को शेष रही देनदारियों से बराबर कर लेना चाहिये। यदि इसके उपरांत भी देनदारियां बच जाती है, तो परिसमापक को चाहिये कि वह सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की सम्पत्ति अथवा नामांकित व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों या वैधानिक प्रतिनिधियों पर अं श दान अधिरोपित करने हेतु रा शि तय करें। इसके साथ ही निर्वाचन संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। साथ ही निर्दे श प्रदान किये कि 15 फरवरी तक सभी संस्थाओं को परिसमापन कर दें यदि ऐसा नहीं किया गया तो विभागीय प्रमुख के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जायेगी।

### खण्डवा, बड़वानी, खरगोन एवं बुरहानपुर जिलों की विभागीय समीक्षा की

खण्डवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिलों की विभागीय समीक्षा तल्ख शब्दों में करते हुए चारों जिलों के अधिकारियों से वो धाराएं पूछी जिनके तहत उनके यहां प्रकरण पंजीबद्ध होते है, किन्तु कोई भी जवाब नहीं दे सके। साथ ही सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी के अनुकम्पा नियुक्ति समयमान वेतनमान एवं पेंशन प्रकरण लंबित न रहे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसानों के हित में काम करने के निर्देश भी दिए।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।